

## विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
संक्षिप्त अवलोकन		vii-ix
<b>प्रस्तावना</b>		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली		1-5
<b>भाग-I - विद्युत क्षेत्र</b>		
<b>अध्याय-1</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली</b>		
प्रस्तावना	1.1	7
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन	1.2	7-8
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	1.3	8
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.4	9
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	9-11
हरियाणा सरकार के वित्त लेखा से मिलान	1.6	11
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	1.7	11-12
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8 से 1.20	12-25
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.21	25
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.22	26
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 से 1.25	26-27
<b>अध्याय-2</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र - निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 'टैरिफ, बिलिंग और राजस्व का संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	29-58
<b>अध्याय-3</b>		
<b>विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</b>		
<b>उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड</b>		
माल की खरीद और माल सूची प्रबंधन	3.1	59-70
<b>हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र</b>		
ब्याज का परिहार्य बोझ	3.2	70-72
<b>दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड</b>		
चोरी हो चुके ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान उपभोक्ताओं से कम वसूली	3.3	73
<b>हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड</b>		
श्रमिक कल्याण उपकर की कम वसूली	3.4	74-75

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
<b>भाग- II - गैर-विद्युत क्षेत्र</b>		
<b>अध्याय-4</b>		
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)</b>		
प्रस्तावना	4.1-4.2	77-78
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	4.3-4.4	78-79
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	4.5	79
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	4.6	79-80
हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	4.7	80-81
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण	4.8	81-82
राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	4.9	83
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	4.10	83
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	4.11-4.24	83-94
निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना	4.25	94
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.26-4.27	94-95
अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	4.28	96
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.29 -4.31	96-97
<b>अध्याय-5</b>		
<b>गैर-विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां</b>		
<b>हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड</b>		
विभागीय स्तर पर टोल का संग्रहण न होना	5.1	99-100
सरकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.2	100-101
संविदा की त्रुटिपूर्ण शर्तों के कारण हानि	5.3	101-102
<b>हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड</b>		
सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति	5.4	102-104
<b>हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड</b>		
लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	5.5	104-105
<b>हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भण्डारण निगम</b>		
भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाई गई मूल्य कटौती का देरी से दावा/दावा न किया जाना	5.6	105-107
<b>हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड</b>		
निष्फल व्यय	5.7	107-108
सुरक्षा उपायों की अनुपालना न करने के कारण हानि	5.8	108-109

## परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.	परिशिष्ट-1	1.8, 1.9 तथा 1.13	111
2.	परिशिष्ट-2	2.1.7.2 (i)	112
3.	परिशिष्ट-3	2.1.10.1	113
4.	परिशिष्ट 4	2.1.10.2	114
5.	परिशिष्ट-5	4.3	115-117
6.	परिशिष्ट-6	4.7	118-119
7.	परिशिष्ट-7	4.8.1	120
8.	परिशिष्ट-8	4.11, 4.13 तथा 4.18	121-123
9.	परिशिष्ट-9	4.16	124-125
	संकेताक्षरों की शब्दावली	-	127-129